

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :- पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र :- 34/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01. हड़मानसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी जाति रावणा राजपूत निवासी गांव लूणावास खारा तहसील झंवर जिला जोधपुर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी 2. जोरसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी 3. पपसिंह पुत्र स्व. मोती सिंह जी 4. प्रेमसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी 5. किशनसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी जातियान रावणा राजपूत निवासी गांव लूणावास खारा तहसील लूणी जिला

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादी की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय :- 06/06/2025

:- आदेश :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 20.12.2022 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार झंवर के पत्र क्रमांक पालना/कॉर्ट/2025/102 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 09.05.2025 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की सामलाती कृषि भूमि ग्राम परिहारों की ढाणी के खसरा 291/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 292 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नंबर 331 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, ग्राम जोगियासनी के खसरा नंबर 34/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा, ग्राम विष्णु की ढाणी खारा के खसरा 469 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा एव ग्राम लूणावास खारा के खसरा नंबर 991/15 रकबा 10 बिस्वा, 1054/2 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा एवं 1056/1 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक मय मौका फर्द दिनांक 16.04.2025 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार ग्राम लूणावास खारा के ख.न. 991/15 रकबा 0.0809 किस्म गै.मु. बाड़ा जो कि गांव की आबादी के पास स्थित है तथा इसमें हड़मानसिंह के हिस्से में उनके भाई जोरसिंह का मकान बना हुआ है जिसके बदले हड़मानसिंह को गांव की आबादी भूमि में रहवासीय भूखण्ड दिये। अतः हड़मानसिंह द्वारा इस खसरे में अपना 1/5 हिस्सा स्वेच्छा से जोरसिंह को देना चाहते हैं। तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्नानुसार है :-



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

क.स	खातेदार विवरण	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म
A	हड़मानसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावणा राजपुत सा लूणावास खारा खातेदार .	परिहारो की ढाणी	291 / 1	0.12788	बा. II
			292	0.41926	बा. II
			331	0.27194	बा. II
		जोगियासनी	34 / 2	0.33346	बा. I
		विष्णु की ढाणी	469	0.41602	बा. II
		लूणावास खारा	1054 / 2	0.10846	बा. I
			1056 / 1	0.22338	बा. I
कुल	07	1.9004			
B	जोरसिंह पुत्र मोतीसिंह हि. 1/4 पपसिंह पुत्र मोतीसिंह हि. 1/4 प्रेमसिंह पुत्र मोतीसिंह हि. 1/4 किशनसिंह पुत्र मोतीसिंह हि. 1/4 जाति रावणा राजपुत सा. लूणावास खारा खातेदार	परिहारो की ढाणी	291 / 1	0.51152	बा. II
			292	1.67704	बा. II
			331	1.08776	बा. II
		जोगियासनी	34 / 2	1.33384	बा. I
		विष्णु की ढाणी	469	1.66408	बा. II
		लूणावास खारा	1054 / 2	0.43384	बा. I
			1056 / 1	0.89352	बा. I
कुल	07	7.6016			
C	जोरसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा 2/5 पपसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा 1/5 प्रेमसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा 1/5 किशनसिंह पुत्र मोतीसिंह हि. 1/5 जाति रावणा राजपुत	लुणावास खारा	991 / 15	0.0809	गै.मु. बाडा
		कुल	01	0.0809	गै.मु. बाडा

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण खातेदार होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 16.04.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 16.04.2025 डिकी का अभिन्न अंग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दपतर दाखिल हो।



(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक सहायक कलेक्टर एवं उपरिषद अधिकारी लूणा

डिकी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 34/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हड़मानसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी जाति रावणा राजपूत निवासी गांव लूणावास खारा तहसील झंवर जिला जोधपुर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी 2. जोरसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी 3. पपसिंह पुत्र स्व. मोती सिंह जी 4. प्रेमसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी 5. किशनसिंह पुत्र स्व. मोतीसिंह जी जातियान रावणा राजपूत निवासी गांव लूणावास खारा तहसील लूणी जिला

दावा बाबत बंटवाडा प्रस्ताव अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 34/2019 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 16.04.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय
सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....
.....को अदा करें।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख १६-६-२०१९ को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मीजाचन	-		स्टांप अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	-	-

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी